

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 31.05.2021

थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा 10 लीटर कच्ची शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में उप जिलाधिकारी श्री उत्कर्ष श्रीवास्तव, इटवा व श्री रमेश चंद्र पांडेय, क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक मिश्रौलिया श्री अजय कुमार सिंह, के नेतृत्व में आज दिनांक 31.05.2021 को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत अन्तर्गत 01 अभियुक्त को मु0अ0सं0 65/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. सुनील पुत्र मेघा साकिन जोकइला थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण-10 लीटर कच्ची शराब अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. उपनिरीक्षक आनंद कुमार
02. हेड कांस्टेबल कैलाश नाथ

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 31.05.2021

“थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 45/2021 धारा 323/504/324 भा.द.वि. से सम्बन्धित 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया ।”

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 31.05.2021 को प्रभारी निरीक्षक चिल्हिया श्री दिनेश चन्द्र चौधरी के कुशल नेतृत्व में मु.अ.सं. 45/2021 धारा 323/504/324 भा.द.वि. से सम्बन्धित 04 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा उक्त घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर, मु.अ.सं. 46/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. आयुष सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह उम्र 19 वर्ष,
 2. अर्पित सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह उम्र 23 वर्ष,
 3. अखिलेश सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह उम्र 25 वर्ष,
 4. विजय कुमार सिंह पुत्र सूर्यपाल सिंह उम्र 48 वर्ष
- निवासीगण ग्राम बडगो थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.प्रभारी निरी0 दिनेश चन्द्र चौधरी थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2.उ0नि0 नागेन्द्र सिंह थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3.हे0का0 प्रेमनरायन सिंह थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4.हे0का0 रामायनधर दूबे थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 31.05.2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्नाटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 31-05-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 104 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 41 वाहनों का चालान कर ₹ 41,500/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 31.05.2021

थाना ढेबरुआ पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा कठेला चौकी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बालानगर में अवैध मद्यनिर्माण के विरुद्ध दबिश डाल कर लहन नष्ट किया गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के सघन पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ और उपजिलाधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ और श्री अजय कुमार, आबकारी निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 31.05.21 को कठेला चौकी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बालानगर में अवैध मद्यनिर्माण की सूचना प्राप्त होने पर अचनाक दबिश मारी गयी। तलाशी के दौरान खेतों व आसपास के स्थानों से कई कुन्तल लहन बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। इस अवैध धंधे से जुड़े लोगों की तलाश की जा रही है।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 31.05.2021

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेशानुसार जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थानाक्षेत्रों में मय दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ दंगा नियंत्रण रिहर्सल/पैदल गश्त कर आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश दंगा रिहर्सल अभियान के क्रम में श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस के समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारीनिरीक्षक/थानाध्यक्षगण के नेतृत्व में आज दिनांक 31/05/2021 को समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थानाक्षेत्रों में मय दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ दंगा नियंत्रण रिहर्सल/पैदल गस्त कर आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया। इसी क्रम में मास्क चालान व वाहनों का चालान किया गया तथा जनता के लोगों को हिदायत किया गया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें तथा मास्क का प्रयोग करें बेवजह घर से बाहर ना निकले।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 31.05.2021

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 31.05.2021

